

California में चुनाव

California के कानून के अनुसार किसी मतदाता-नामित पद के लिए सभी उम्मीदवारों को एक ही मतपत्र पर सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक है। मतदाता-नामित पद राज्य के विधायी पद, अमेरिकी कांग्रेस के पद, और राज्य के संवैधानिक हैं।

ओपन प्राइमरी और आम चुनावों दोनों में, आप किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकते हैं, चाहे आपने अपने मतदाता पंजीकरण फॉर्म पर कोई भी पार्टी पसंदगी इंगित की हो। प्राथमिक चुनाव में, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवार— चाहे उनकी पार्टी पसंदगी कोई भी हो—आम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत (50 प्रतिशत +1) प्राप्त होता है, तो भी आम चुनाव आयोजित किया जाना चाहिये। भले ही ओपन प्राइमरी में किसी पद के लिए केवल दो ही उम्मीदवार हों, उस पद के लिए आम चुनाव अभी भी आवश्यक है।

California की ओपन प्राइमरी प्रणाली अमेरिकी प्रेसिडेंट, काउंटी केंद्रीय समिति, या स्थानीय पदों के लिए चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होती है।

California के कानून के अनुसार इस नोटिस पर निम्नलिखित जानकारी छपी जानी आवश्यक है।

मतदाता-नामित पद

प्राथमिक चुनाव में राजनीतिक पार्टियां औपचारिक रूप से मतदाता-नामित पदों के लिए उम्मीदवारों को नामित करने की हकदार नहीं हैं। किसी मतदाता-नामित पद के लिए नामित उम्मीदवार लोगों का नामित उम्मीदवार है, न कि आम चुनाव में किसी भी पार्टी का आधिकारिक नामित उम्मीदवार। किसी मतदाता-नामित पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार के द्वारा अपनी पार्टी पसंदगी, या पार्टी पसंदगी का अभाव मतपत्र पर बताया गया होगा, लेकिन पार्टी पसंदगी पदनाम का चयन केवल उम्मीदवार के द्वारा किया जाता है और उसे केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए दर्शाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार निर्दिष्ट पार्टी के द्वारा नामित या समर्थित है, या कि पार्टी और उम्मीदवार के बीच कोई संबद्धता है, और मतदाताओं के द्वारा नामित किसी भी उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक तौर पर नामित उम्मीदवार होना नहीं समझा जायेगा। काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में, पार्टियां मतदाता-नामित पदों के लिए ऐसे उम्मीदवारों को सूचीबद्ध कर सकती हैं जिन्हें पार्टी का आधिकारिक समर्थन प्राप्त हुआ है।

कोई भी मतदाता किसी भी मतदाता-नामित पद के उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकता है, अगर वे उस पद के लिए मतदान करने हेतु आवश्यक अन्य योग्यताओं को पूरा करते हों। प्राथमिक चुनाव में दो शीर्ष मत-प्राप्तकर्ता मतदाता-नामित पद के लिए आम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं, भले ही दोनों उम्मीदवारों ने एक ही पार्टी पसंदगी पदनाम निर्दिष्ट किया हो। कोई भी पार्टी अपनी पार्टी पसंदगी पदनाम वाले किसी उम्मीदवार को आम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ाने की हकदार नहीं है, जब तक कि वह उम्मीदवार प्राथमिक चुनाव में दो अधिकतम मत-प्राप्तकर्ताओं में से एक न हो।

निर्दलीय पद

राजनीतिक पार्टियां प्राथमिक चुनाव में निर्दलीय पदों के लिए उम्मीदवारों को नामित करने की अधिकारी नहीं हैं, और प्राथमिक चुनाव में कोई उम्मीदवार आम चुनाव में विशिष्ट पद के लिए किसी भी पार्टी का आधिकारिक नामित उम्मीदवार नहीं होता है। किसी निर्दलीय पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार, मतपत्र पर, अपनी पार्टी पसंदगी, या पार्टी पसंदगी का अभाव निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। प्राथमिक चुनाव में दो शीर्ष मत-प्राप्तकर्ता निर्दलीय पद के लिए आम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं।